Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

देश में एक राष्ट्र- एक चुनाव : लाभ और चुनौतियाँ एक अध्ययन

डॉ. पल्लवी नंदी*

* अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) शास. घनश्याम सिंह गुप्त पी. जी. कॉलेज, बालोद (छ.ग.)

शोध सारांश – वर्तमान परिदृष्य में एक देश एक चुनाव देश की मांग है और खासकर भारत जैसें बड़े लोकतांत्रिक देश में जहाँ लगभग हर समय कोई न कोई चुनाव सम्पन्न होते रहते है और इस चुनाव में पैसों को पानी की तरह से बहाया जाता है। ऐसी स्थिति में एक देश एक चुनाव देश के लिए जरूरी हो गया है लेकिन जहाँ इसके कई लाभ हो सकते है वहीं इसके लिए कई चुनौतियाँ भी संभव है।

शब्द कुंजी – लोकतांत्रिक राज्य, संवैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचा।

प्रस्तावना – प्रजातंत्र कोई सामान्य अर्थ लिया हुआ शब्द नहीं है, वरन् ये तो बड़ा और इतना आकर्षक शब्द हैं कि जिनका शाब्दिक अर्थ इन्हें परिभाषित करने की समस्या को हल्का बना देता है। इन शब्दों में से एक प्रकार विकास उन्मुक्ति आदि की भावना स्वत: ही जागृत होती है। साहित्यिक अर्थ में यदि हम प्रजातंत्र को ही ले तो इसका अर्थ होता है – जनता की शक्ति। परंतु यह व्याख्या इस शब्द को शाब्दिक अर्थ प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाती। इससे लोकतंत्र को परिभाषित करने की समस्या हल नहीं हो पाती।

समस्या केवल यह नहीं है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, वरन् यह है कि इस अद्भुत व आकर्षक शब्द के पीछे निहित मूल धारणा क्या है ? लेकिन जब इस शब्द से बहुत कम संबंध है यद्यपि प्रजातंत्र का अर्थ कुछ-कुछ निष्चित सा है, किन्तु यह वास्तविक अर्थ को समझने में बहुत कम सहायता कर पाता है।

प्रजातंत्र शब्द का केवल व्याख्या की दृष्टि से ही महत्व नहीं है वरन् इसका अपना एक प्रभाव भी है। प्रजांतत्र की परिभाषा करते समय बात तो यह ध्यान में रखनी चाहिए। प्रजांतत्र की परिभाषा करना यद्यपि प्रजातंत्र का अर्थ कुछ-कुछ निष्चित सा है, किन्तु यह वास्तविक अर्थ को समझने में बहुत कम सहायता कर पाता है।

प्रजातंत्र शब्द का केवल व्याख्या की दृष्टि से ही महत्व नहीं है वरन् इसका अपना एक प्रभाव भी है। प्रजांतत्र की परिभाषा करते समय पहली बात तो यह ध्यान में रखनी चाहिए। प्रजातंत्र कि 'है' और 'होना चाहिए' के मध्य अंतर किया जाना चाहिए। प्रजांतत्र की परिभाषा करना यद्यपि कठिन कार्य है, फिर भी हम विभिन्ना राजनीतिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रजातंत्रात्मक या कम प्रजातंत्रात्मक कहते हैं। आज के राजनीतिक चैतन्यता के युग में जिन देशों में औपचारिकता की दृष्टि से प्रजातंत्र नहीं है, वहां भी राज्य और सरकार को जनता के विश्वास को आकृष्ट करना होना होता है। इस कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रजातंत्र की कोई परिभाषा अवश्य होनी चाहिए। यदि प्रजातंत्र की परिभाषा अवास्तविक रूप से कर दी गयी तो इसके परिणामस्वरूप हमें सभी वास्तविक प्रजांतत्रों को अस्वीकार करना पड़ेगा और यदि प्रजातंत्र को गलत ढंग या गलत शैली में अर्थ प्रदान किया गया है तो सकता है कि हम उस तत्व को ही अस्वीकार कर दें, जिसे हम पचान न पाये या उस तत्व को स्वीकार कर लें जिसे कि हम चाहते ही नहीं।

प्रजातंत्र की कोई निश्चित परिभाषा न होने के कारण कुछ विचारकों ने तो यहां तक कह डाला है कि हम भ्रमित प्रजांतत्र के युग में जी रहें हैं। प्रजातंत्र के अर्थ के संबंध में **इलियट ने कहा है कि** – 'प्रजातंत्र शब्द की सामान्य लोकप्रियता को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि इसका अर्थ है भी या नहीं क्योंकि इसके अनेक अर्थ है।'

प्रत्येक राष्ट्र की शासन व्यवस्था एवं राजनीति पर उसके अतीत का प्रभाव स्पष्टता देखा जा सकता है तथा उसका संवैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचा एक लम्बे विकास का परिणाम होता है और भारत भी अपवाद नहीं है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ अपने लोकतंत्र के 75 साल गुजार चुका है और इसे लोकतांत्रिक चुनावों का व्यापक एवं गहन अनुभव प्राप्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, आयोग को चुनाव की 'निगरानी, संचालन और नियंत्रण' की व्यापक शक्तियां दी गई हैं, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने जहां एक संघीय संस्थान में चुनाव की निगरानी के केंद्रीकरण को लेकर चिंता जताई थी लेकिन अंतत: मसौदा तैयार करने वालों ने महसूस किया कि केवल एक मज़बूत केंद्रीय एजेंसी देश में चुनाव को लेकर एकरूपता लागू कर सकती है और इसके होने से स्थानीय नियंत्रण के नुक़सान से परहेज किया जा सकता है।

देश में पहली बार 1952 में एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा और विधासभाओं के चुनाव कराए गए थे। इसके बाद अगले तीन चुनावों तक ये सिलसिला जारी रहा लेकिन बाद में कई राज्यों की विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण ये सिलसिला टूट गया। वहीं दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था लागू है।

अन्य देशों का यदि जिक्र किया जाये तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था है। जर्मनी, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और अल्बानिया जैसे देशों में एक देश-एक चुनाव की व्यवस्था है। वहीं, हाल ही में इस लिस्ट में

स्वीडन शामिल हुआ है, जहां एक साथ सभी चुनाव कराए जाते हैं।

इस शोध का उद्देश्य निम्न ध्येय के आधार पर है :

1. एक देश–एक चुनाव क्या है ?
2. एक देश एक चुनाव से होने वाले देश को लाभ और इसमें आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – इस शोधपत्र हेतु द्वितीयक समंकों को उपयोग किया गया है। एक देश–एक चुनाव पर हुए शोध कार्य, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र और विभिन्न समाचारों में प्रकाशित लेखों के आधार पर यह कार्य पूर्ण किया गया है।

एक देश एक चुनाव के लाभ:

1. अगर देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए, तो चुनाव पर होने वाले खर्च कम होंगे। इसके साथ ही हमेशा चुनाव की वजह से प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त रहते हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा।
2. आंकड़े के मुताबिक, देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तब करीब 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वहीं, 17वीं लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए थे। इससे अंदाजा लगाया लगाया जा सकता है कि अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो विधानसभा चुनावों में कितने रुपये खर्च होते होंगे।

एक देश–एक चुनाव में चुनौतियां– एक देश, एक चुनाव के सामने जहाँ कई लाभ भी सामने आ आते है तो चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं :

1. लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन इसे उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश–एक चुनाव संभव नहीं होगा।
2. लोकसभा की तरह ठीक विधानसभा का भी कार्यकाल पांच साल का होता है और ये भी पांच साल से पहले भंग हो सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती होगी कि एक देश–एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखा जाए।
3. एक देश–एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों के अलग–अलग मत हैं।
4. ऐसा माना जाता है कि एक देश–एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा।
5. फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग–अलग होते हैं, जिस वजह से ईवीएम और वीवीपैट की सीमित संख्या हैं, लेकिन अगर एक देश–एक चुनाव होते हैं तो एक साथ इन मशीनों की अधिाक मांग होगी, जिसे पूर्ति करना बड़ी चुनौती होगी।
6. अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षाबलों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती होंगी।

उपसंहार – एक चुनाव एक देश भलेंहि समय की मांग और आवश्यकता दोनों ही क्यों न हो इसकी चुनौतियों के निपटान के तरीकों के बिना इसे लागू किया जाना कठिन एवं जल्दबाजी होगी। धीरे–धीरे इसकी चुनौतियों से लड़ने के लिए बेहतर विकल्प तलाशे जाने के बाद ही देश में एक चुनाव लागू किया जाना उचित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जैन, डॉ. पुखराज : भारतीय राज व्यवस्था, 1984
2. राय डॉ. एम.पी. : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, कालेज बुक डिपो, जयपुर 1987
3. सुभाष कश्यप : भारत का संविधान, संवैधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष, 1972
4. इकबाल नारायण: राजनीति विज्ञान, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, खजूरी बाजार, इंदौर, 2005
5. नारायण, इकबाल : राजनीति विज्ञान, शिवलाल प्रकाशन 2015
6. http://oneindiaonepeople.com/one-nation-one-election/
7. https://www.2thepoint.in/possibility-of-one-nation-one-election/
8. http://zeenews.india.com/india/bjps-push-for-one-nation-one-polls-is-a-gimmick-congress-2077288.html
9. http://www.indiafoundation.in/symposium-on-one-nation-one-election-2/
10. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/one-nation-one-poll-needs-many-legislation-cec-op-rawat/articleshow/62628484.cms
11. http://www.uniindia.com/call-for-one-nation-one-election-is-also-jumla-chidambaram/india/news/1122724.html

****